न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–200 सन् 2017

राम प्रवेश पाण्डेय............वादी

बनाम

गंगा साह व अन्य............प्रतिवादीगण

दिनांक– 01.12.2021

उभय पक्ष अनुपस्थित है। उचित पैरवी करें। आज अभिलेख आवेदकगण नारेन्द्र पाण्डेय, शैलेन्द्र पाण्डेय एवं रागनी देवी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 25.06.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

आवेदकगण का आवेदन में कथन है कि इस वाद में एकमात्र वादी राम प्रवेश पाण्डेय पिता– स्व0 राम बसावन पाण्डेय की मृत्यु दिनांक 20.06.2020 को हो गई। आवेदकगण स्व0 राम प्रवेश पाण्डेय के जायज और कानूनी वारिसान है। अतः न्यायहित में इस वाद में मृत वादी राम प्रवेश पाण्डेय का नाम काटकर उनके स्थान पर आवेदकगण का नाम जोड़ना अति आवश्यक है। आवेदकगण को इस वाद के बारे में पूर्व में जानकारी नहीं थी, क्योंकि आवेदकगण नौकरी वो रोजगार के सिलसिले में बाहर रहते हैं। जानकारी होने पर आवेदकगण यह आवेदन दाखिल कर रहे हैं। अतः निवेदन है कि मृत वादी राम प्रवेश पाण्डेय का नाम वादपत्र से काटकर उनके वारिसानों का नाम जो आवेदकगण हैं जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाए।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से

विदित है कि प्रस्तुत वाद एकमात्र वादी राम प्रवेश पाण्डेय के द्वारा दाखिल किया गया है। आवेदकगण की ओर से एकमात्र वादी के स्थान पर प्रतिस्थापित करने हेतु यह आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदन शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया है। ऐसी परिस्थिति में आवदेकगण के द्वारा दाखिल आवेदन पोषणीय है। अतः आवेदकगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 25.06.2021 को न्यायाहित मं स्वीकृत किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वे वादपत्र से एकमात्र वादी राम प्रवेश पाण्डेय का नाम कलमजद कर आवेदन में लिखित वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें।

वाद दिनांक 15.12.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।